

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 388 / 2025 दिनांक : 05.02.2025


श्री शैलेश जड़िया (RJ00489) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 04.01.2025 से 05.01.2025 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 06.01.2025 से 08.01.2025 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश।

श्री जड़िया की अनुपस्थिति में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/41/2005/1104

दिनांक : 05.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 656 दिनांक 10.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेश जड़िया (RJ00489), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
5. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा।
6. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।


सहायक रजिस्ट्रार